गणेशीलाल बनाम सत्यनारायण

24-11-2023 अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्षों को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सीआरपीसी व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सीआरपीसी पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी, उत्तर के आदेश दिनांक 08–04–1975 के विरूद्व दिनांक 20–09–2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् द्वारा उक्त अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर मिथ्या कथन एवं साक्ष्यों को मनगढ़त रूप से प्रस्तुत करते हुए पेश किया गया है। अपीलांट् द्वारा दिनांक 07–08–2018 की घटना के संबंध में झूठे बयान दिये गये है जबकि अपीलांट् गणेशीलाल को उक्त प्रकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है क्योंकि उक्त भूमि के विवाद के संबंध में ही अपीलांट् द्वारा अपना शपथ पत्र रिकार्ड दुरूस्ती के लिये सहायक उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर के समक्ष दिनांक 03–12–1981 को पेश किया था। इसी प्रकार अपीलांट् द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में किस व्यक्ति ने जानकारी प्रदान की, उसका भी कहीं अंकन नहीं है। इस प्रकार अपीलांट् द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत शपथ पत्र की जॉच करवाई जाकर अपीलांट् के विरूद्व धारा 340 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में इलाहबाद उच्च न्यायालय का निर्णय बृजेन्द्र कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 06–10–1979 की प्रति पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् द्वारा मियाद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर), बीकानेर के आदेश दिनांक 08–04–1975 के विरूद्व अपील दिनांक 20–09–2018 को पेश की गई है जोकि करीब 43 वर्ष 5 माह पश्चात् प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियाद बाहर अपील है। इतनी लम्बी अवधि को दरगुजर करने हेतु मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक कारण की श्रेणी में नहीं आते है। अपीलांट् द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07–08–2018 को प्राप्त हुई, जब अपीलांट् ने हाईकोर्ट में दायर मुकदमें की नकलें निकलवाई। अपीलांट् द्वारा उक्त नकलें दिनांक 05–09–2018 को प्राप्त होने का कथन किया गया है। जबकि अपीलांट् को अपीलाधीन

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट् द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष रिकार्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र दिनांक 04–12–1981 को पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलांट् द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार अपीलांट् स्वयं क द्वारा दिनांक 12–02–1993 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् एग्रीमेन्ट व अपीलांट गणेशीलाल द्वारा लालचन्द से किये गये राजीनामा दिनांक 11–03–1983 एवं स्वयं अपीलांट् द्वारा 16 बीघा भूमि का मुआवजा रेस्पोडेन्ट्रान के पिता लालचन्द से प्राप्त किया, उसकी रसीदें व उसका विवरण मय बैंक की रसीदें आदि इस तथ्य को साबित करती है कि अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। अपीलांट् द्वारा मियाद अधिनियम के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र स्वामेव झूठा साबित होता है। अपीलांट् द्वारा जानबूझकर रेस्पोडेन्ट को धोखा देने व मियाद बाहर अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने के लिये झूठे शपथपत्र व मिथ्या कथनों का सहारा लिया गया है तथा धारा 5 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अंकित कारण संतोषजनक कारण की परिभाषा में नहीं आते है। न्याय का सिद्वान्त है कि मियाद अधिनियम पर न्यायालय को नरम रूख अपनाना चाहिए, परन्तु जहॉ पक्षकार द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में देरी की गई हो, तथा जहॉ पक्षकार को निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही रही हो, ऐसी स्थिति में प्रकरण में मात्र इस आधार पर देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा सके। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् को प्रारम्भ से ही अपीलाधीन आदेश की जानकारी रही है तथा अपीलांट् द्वारा जानबूझकर कर जानकारी के बावजूद अपील देरी से प्रस्तुत की गई एवं मियाद प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी अर्थात 43 वर्ष 5 माह की अत्याधिक देरी को कण्डोन करने के संतोषजनक कारण अंकित नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् की अपील को मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1964 पेज 338, आरएलडब्ल्यू (आरजे) पार्ट II 2006 पेज 873, आरआरडी 1955 पेज 252, आरआरडी 1980 पेज 20, आरआरटी 2004 पार्ट II पेज 1219, आरआरटी 2004 पार्ट I पेज 576, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 154, आरआरटी 2011 पार्ट I पेज 614, आरआरटी 2007 पार्ट II पेज 939, आरबीजे (7) 2000 पेज 470, आरबीजे, आरबीजे 2000 पार्ट I पेज 71, आरआरटी 2006 पार्ट II पेज 1171, आरआरडी 1995 पेज 456, आरआरडी 1994 पेज 697, आरबीजे 2005 पेज 132, आरआरडी 1991 पेज 164 व एआईआर 1994 एससी पेज 853 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा सर्वप्रथम धारा 340 सीआरपीसी का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य कि अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है, असत्य कथन है। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–04–1975 को पारित किया गया, उक्त आदेश पारित करते हुए अपीलांट् को बतौर पक्षकार स्थापित नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट् को नहीं होना स्वाभाविक था। अपीलांट् को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07–08–2018 को प्राप्त हुई माननीय उच्च न्यायालय मे पैरवी करने के दरमियान हुई तथा उक्त तथ्य की जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त प्रमाणित प्रतिलिपि आदि प्राप्त करते हुए अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र में किसी प्रकार का कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा मात्र अपीलांट् को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से व प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय नहीं होने के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र धारा 340 सीआरपीसी की परविव्यू में नहीं आता है। प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अपीलांट् गणेशीलाल एवं रेस्पोडेन्ट्स के पिता लालचन्द आपस में रिश्तेदार है तथा अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के पिता पर अत्याधिक भरोसा करते हुए तमाम कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा अपीलांट् को धोखे में रखकर आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा उक्त तमाम तथ्यों को प्रार्थना पत्र में अंकित करते हुए मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कोई भी तथ्य मनगढ़त अथवा असत्य नहीं होने से रेस्पोडेन्ट् का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सीआरपीसी खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही उदासर के खेत खसरा नम्बर 191/139, 192/139, 193/139, 194/139 व 195/139 तादादी 39 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2014 से 2018 तक अपीलांट् के नाम खातेदारी भूमि रही। कालान्तर में उक्त खसरा नम्बरान् के नये खसरा नम्बर परिवर्तित हुए तथा सवंत् 2032 अर्थात वर्ष 1975 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादग्रस्त भूमि रेस्पेडेन्ट के पिता लालचन्द दत्तक पुत्र गणेशीलाल के नाम दर्ज कर दी गई तथा उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार गलत इन्द्राज एवं कपटपूर्ण तरीके से करवाये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गये रिकार्ड परिवर्तन के आधार पर प्राप्त किया गय आदेश प्रारम्भ से ही अवैधानिक आदेश की श्रेणी में आता है तथा ऐसे आदेश पर मियाद अधिनियम बाधक नहीं होता है। प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि का आवप्ति तथा रकम प्राप्ती का प्रश्न है, इस संबंध में दोनों पक्षों के मध्य ईकरारनामा भी हुआ है, परन्तु तत्समय सामाजिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों के दबाव में आकर उक्त सहमति प्रदान की गई थी, परन्तु इस संबंध में कानून में स्पष्ट मत है कि कानून के विपरीत दी गई सहमति से उक्त सम्पति पर अन्य व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होते है नाही सहमति प्रदत्त व्यक्ति के अधिकारों को ही समाप्त किया जा सकता है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स के पिता वादग्रस्त भूमि के एकल खातेदार रहे है तथा नाही उक्त भूमि अपीलांट् के नाम दर्ज रिकार्ड रही है नाही उक्त भूमि पर अपीलांट् का कब्जा काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश मिथ्या एवं कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है। ऐसे मिथ्या एवं कपटपूर्ण आदेश पर मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। विधि की भी यह मंशा रही है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियाद या अन्य तकनीकी बिन्दु को गौण/नरम रूख रखते हुए न्यायालय को प्रकरण के मैरिट पर निर्णय हेतु अग्रसर होना चाहिए। चूंकि अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अतः रेस्पोडेन्ट्स की मियाद के बिन्दु पर उठाई गई आपत्ति को खारिज किया जाकर अपीलांट् की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरटी 2013 पार्ट I पेज 436, आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1993 पेज 411 व आरआरडी 1998 पेज 400 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

प्रकरण में मियाद के बिन्दु के निर्धारण से पूर्व रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सीआरपीसी पर न्यायालय द्वारा अपना मत व्यक्त किया जाना है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट् द्वारा अपीलांट के मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने का कथन करते हुए अपीलांट् के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की मांग की गई है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अंकित तथ्य मिथ्या अथवा मनगढ़त कथन है अथवा नहीं? तथा उक्त कथनों का वास्तविकता से कोई सरोकार है अथवा नहीं? उक्त तथ्यों का निर्धारण मियाद के बिन्दु के निर्धारण पर किया जाना है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अन्तर्गत धारा 340 सीआरपीसी को मियाद के बिन्दु के साथ समाहित करते हुए निर्णित किया जाना उचित पाते है।

प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–04–1975 के विरूद्व अपील दिनांक 20–09–2018 को प्रस्तुत की गई है। जोकि अपीलाधीन आदेश पारित होने करीब 43 वर्ष 5 माह पश्चात् प्रस्तुत की गई। उक्त अत्याधिक विलम्ब को दरगुजर करने हेतु अपीलांट् द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य संतोषजनक एवं पर्याप्त कारण है अथवा नहीं? इस संबंध में मियाद प्रार्थना मय शपथ पत्र व रेस्पाडेन्ट्स द्वारा मियाद के संबंध में प्रस्तुत आपित्तयों का अवलोकन किया जाना अपरिहार्य हो जाता है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद को कण्डोन करने का कारण अंकित किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किये जाने के कारण अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी। उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलांट् राज्य सेवा में कार्यरत रहा तथा अपीलांट् का पदस्थापन बीकानेर से बाहर होने के कारण अपीलांट् की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए रेस्पोडेन्ट्स के पिता ने गलत इन्द्राज के आधार पर आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया है। वादग्रस्त भूमि वर्ष 1983 मे भारतीय थल सेना द्वार छावनपी हेतु अवाप्त किये जाने व मुआवजे से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी के दौरान अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त होने का कथन करते हुए मियाद को कण्डोन करने का निवेदन किया गया है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया कि अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है क्योंकि अपीलांट् द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष रिकार्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं रही है। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा दरखास्त दुरूरूती रिकार्ड जोकि अपीलांट् स्वयं के द्वारा दिनांक 04–12–1981 को प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट्स के पिता लालचन्द को बतौर पक्षकार स्थापित करते हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 357/276 तादादी 39 बीघा वाके रोही ग्राम उदासर वर्तमान में मात्र लालचन्द वल्द गणेशीलाल पोत्र मुकनाराम के नाम अंकित है उक्त भूमि का आधा हिस्सा अपीलांट् गणेशीलाल वल्द हनुमान के नाम अंकित होनी चाहिए। इसी के साथ यह भी कथन किया गया है कि भूमि मुतनाला के आधे हिस्से पर प्रार्थी के नाम का अंकित किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

उक्त दरखास्त के साथ अपीलांट् द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अपीलांट् गणेशीलाल के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट्स के पिता लालचन्द द्वारा न्यायालय सहायक उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् राजीनामा दिनांक 22–02–1983 प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अपीलांट् गणेशीलाल व रेस्पोडेन्ट्स के पिता लालचन्द के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त तथ्य से साबित है कि अपीलांट् गणेशीलाल को वादग्रस्त भूमि के बाबत् जारी अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है तथा अपीलांट् स्वमेव द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के पिता लालचन्द के साथ वादग्रस्त भूमि के बाबत् राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा उक्त राजीनामें में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम उदासर के खेत खसरा नम्बर 357/276 तादादी 39 बीघा के पश्चिमी हिस्से का 16 बीघा का अधिकारी प्रार्थी गणेशीलाल वल्द हनुमान रहेगा तथा उक्त 16 बीघा को छोड़कर शेष समस्त भूमि का अधिकारी लालचन्द पुत्र गणेशीलाल रहेगा। उक्त राजीनामा नियमानुसार न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलांट् जिसके स्वयं के द्वारा न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष दरखास्त दुरूस्ती व कालान्तर में वादग्रस्त भूमि के बाबत् राजीनामा प्रस्तुत करते हुए राजीनामें के अनुसारण में कार्यवाही किया जाना स्वीकार किया गया है। लिहाजा अपीलांट् द्वारा अपील प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया जाना कि अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07–08–2018 को प्राप्त हुई है स्वीकार योग्य कथन नहीं है। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है, संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण नहीं पाये जाते है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2005 पेज 132 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– Indian Limitation Act, 1963 – Section 5 condonation of delay – on the basis of false plea, delay cannot be condoned – In this case, application for condonation of delay in filing appeal was presented before the Appellate Authority. In the application wrong date of knowledge of order was mentioned. Whereas on the basis of false plea of dealy in filing appeal, it cannot be condoned. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। प्रकरण में अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होने के प्रश्न पर किसी प्रकार की कोई अतिश्योक्ति

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नहीं है। अपीलांट् द्वारा मियाद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है, स्वीकार योग्य नहीं होने व अपीलांट् स्वमेव न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पोडेन्ट्स की मियाद के बिन्दु पर उठाई गई आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर